

पंत्राक 32/1/सैक0/ सूचना/
जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय
पिथौरागढ़

21 जून 2014

सेवा में ,

मुख्य विकास अधिकारी
पिथौरागढ़ ।

विषय:- I puk ds vf/kdkj vf/kfu; e 2005 ds vUrxIr 17 fcUnyks ds eupy dks
v/kkof/kd
ds I fcU/k eA

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़ के पत्र संख्या 466 / 33—सू0का0अधि0 / मैनुवल 2013–14 दिनांक 22 मई 2014 के संदर्भ में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं के मैनुवल को अध्यावधिक कर आपके अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी
प्रतिलिपि:- पिथौरागढ़

मुख्य विकास अधिकारी
पिथौरागढ़ ।

— उपरोक्त पत्राक के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

I puk dk tu vf/kdkj vf/kfu; e

2005

1/ftyk I fud dY; k.k , oa i puok
dk; kly; ½
tui n fi Fkk§ kx<

tui n fi Fkkj kx<+dk | f{klr bfrgkl

1. जनपद पिथौरागढ़ उत्तरांचल प्रदेश के पर्वतीय अंचल में स्थित कैलाश मानसरोवर की यात्रा का प्रमुख द्वार है। पिथौरागढ़ को सन् 1960 में जनपद अल्मोड़ा से अलग करके जनपद का दर्जा दिया गया है जनपद 80 से 81 देशान्तर तथा 29 से 30 अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित हैं।
2. यह जनपद उत्तर में चीन तिब्बत तथा पूर्व में नेपाल की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा है दक्षिण में जनपद नैनीताल तथा पश्चिम में अल्मोड़ा जनपद सीमाओं से जुड़ा है। यह जनपद भौगोलिक रूप से वर्गीकृत किया गया है।
3. जनपद पिथौरागढ़ में वर्तमान में कुल पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों की संख्या 16516 तथा कुल विधवाओं की संख्या 6562 व रोजगार हेतु कुल भूतपूर्व सैनिकों की संख्या 450 पंजीकृत हैं।
4. इस भू—भाग में उँची—उँची पर्वत श्रंखलाये हैं जो अधिकतर हिमांच्छादित रहती हैं इन पर्वत मालाओं की ऊचाइयाँ 22000 फिट तक ऑकी गई हैं इस भूखन्ड में धारचूला तथा मूनरस्यारी की उँची—उँची चौटियों हमेशा वर्फ से आच्छादित रहती हैं इस मामले में भौटियाँ लोग सौका व संग नामों से भी जाने जाते हैं इस भु खन्डों में आदिवासी जनजाति निवास करते हैं।
5. इस भू—भाग का प्राकृतिक सौन्दर्य का आकर्षण पर्टन के विकास के लिए लोकप्रिय बनने में सक्षत हैं। इस भू—भाग में अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों विधमान हैं जिसके विकास से असाध्य रोगों का भी निवारण किया जा सकता है। इस प्रकार की वन सम्पदा ने प्रकृति ने इस भू—भाग को उपहार के रूप में प्रदान किया है।

fcUng | g; k &01

I xBu dh fof' k"V; k; dR; vkj drl;

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय पिथौरागढ़ के कार्य सम्पादन हेतु निम्न कर्मचारी अधिकृत हैं :-

(1) अधिकारी	-
(2) सहायक अधिकारी	-01
(2) प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-2	-02
(3) प्रवर सहायक	-01
(4) कनिष्ठ सहायक	-04
(5) कल्याण कार्य कर्त्ता	-02
(6) वाहन चालक	-01
(7) अनुसेवक	-01
(8) अर्दली	-01
(9) चौकीदार	-05
(10) सफाई कर्मचारी	-03

i "B Hkfe %

1. सैनिक कल्याण विभाग की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के उपरान्त सन् 1947 में की गयी थी , वर्ष 1962 तक जिला सैनिक नाविक एवं वैमानिक परिषद के नाम से सचिव जिला सैनिक परिषद के नाम ये कार्य करते रहे ।

2. वर्ष 1962 के पश्चात् इसका नाम परिवर्तित कर जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय के नाम से नामकरण करने के उपरान्त राज्य सरकार के अधीन कार्य किया जाने लगा तथा अधिकारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति शासन राज्य / निदेशालय स्तर पर की जाने लगी तत्पश्चात् वर्ष 1981-82 में निदेशालय के रूप में निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तर प्रदेश लखनऊ का नामकरण किया गया तथा जिला परिषद का नाम परिवर्तित कर जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय रखा गया है ।

foHkkx ds eyy mnns ;

1. विभाग का मूल उद्देश्य राज्य व केन्द्र सरकारों के मध्य पूर्व सैनिकों के पुनर्वास एवं कल्याण हेतु समन्वय स्थापित करते हुये राज्य / केन्द्र सरकार के दिशा निदेशों के अनुसार पूर्व सैनिकों / सैनिक विधवाओं एवं विकल्पग सैनिकों व आश्रितों के पुनर्वास एवं कल्याण सम्बन्धी स्वतः रोजगार , रोजगार सम्बन्धी सहायता दिलाये जाने सम्बन्धी कार्यों को सम्पादित किया जाना हैं ।

ftyk Lrj ds dk; l dyki

3- जनपद पिथौरागढ उत्तराखण्ड के 13 जनपदों में प्रेदश एवं देश के उत्तरपूर्व में सीमान्त क्षेत्र में स्थित हैं । जनपद का सृजन वर्ष 1960 में हुआ था इस जनप में आठ विकास खण्ड विण, मूनाकोट कनालीछीना, डीडीहाट, गंगोलीहाट, बेरीनाग, धारूचला एवं मूनस्यारी तथा 6 तहसीलें यथा पिथौरागढ, डीडीहाट, धारचूला, मुनस्यारी, गंगोलीहाट तथा बेरीनाग हैं ।

(क) jks t xkj | ECU/kh

(1) पूर्व सैनिक एवं शहीद सैनिकों के आश्रितों को महानिदेशालय पुनर्वास एवं राज्याज्ञाओं के अनुपालन में निर्गत निदेशों के अनुरूप रोजगार दिलाने हेतु किया जाता हैं । कार्यालय में रोजगार हेतु रजिस्ट्रेशन के पश्चात् भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिलाया जाता हैं ।

(2) केन्द्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न स्वतः रोजगार हेतु पूर्व सैनिकों आश्रितों एवं विधवाओं को प्रेरित करते हुये आवश्यक सहायता प्रदान की जाती हैं ।

(3) स्वतः रोजगार हेतु भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को प्रशिक्षण दिलाया जाता हैं ।

(4) स्वतः रोजगार हेतु प्रशिक्षण पुर्व सैनिकों को ऋण की व्यवस्था एवं कार्य प्रारम्भ की योजना बनाने में सहायता प्रदान करना है । ऋण पर लगाये गये ब्याज पर छूट दिलायी जाती हैं ।

(ग) v|;

- (1) पूर्व सैनिकों/सैनिक विधवाओं के पेशन प्रकरण में सहायता देना ।
- (2) सेना में भर्ती हेतु आू जनता को प्रचार प्रसार करना ।
- (3) सेवारत सैनिकों के परिवारों पूर्व सैनिकों एवे सैनिक विधवाओं का स्थानीय प्रशासन के साथ काम करवाने में मदद करना ।
- (4) सेना की छवि को हमेशा उच्च उठाये रखना ।
- (5) द्वितीय विश्व युद्ध के पेन्शारों को जीवित प्रमाण पत्र वर्ष मे दो बार यानि माह अप्रैल एवम माह अक्टूबर मे दिये जाने हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित एवम इस जनपद के सैनिक संगठनों के अध्यक्षों को प्रचार करने हेतु सूचित किया जाता है ।

(घ) foHkkx }kjk | pkfyr ; kstuk; ॥

- (1) पूर्व सैनिकों के आश्रित बच्चों को भर्ती प्रशिक्षण हेतु इस जिले के अभ्याथियो हेतु कुमायू मण्डल मे जनपद अल्मोड़ा मे प्रतिवर्ष 200 प्रशिक्षणाथियों को प्रशिक्षण दिलाये जाने का प्राविधान रखा गया है ।
- (2) dk'kycf} jkst xkj i nd ; kstuk :— यह राज्य स्तरीय योजना हे

|

इस योजना के अन्तर्गत पूर्व सैनिकों एवम सैनिक आश्रितों को स्वरोजगार उन्मुख के लिए तैयार किये जाने हेतु इस जनपद मे स्थापित संस्थाओं के माध्यम से कम्पूटर शिक्षा वाहन चालक लिपिक कार्य के लिए प्रशिक्षण के लिए तैयार किये जाने हेतु कोचिंग दिलाई जा रही है ।

(ङ) foHkkx }kjk | pkfyr ; kstuk; ॥

- (1) द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों/ शहीद सैनिकों की विधवाओं को पेंशन का वितरण द्वितीय विश्व युद्ध पूर्व सैनिकों/ सैनिक विधवाओं को राज्य सरकार से देय पेंशन ₹0 3000.00 प्रतिमाह की दर से देय थी ।

1/वृ॥ i w| | Sudka , oa | Sud vkfJrk ds fy , | Sud foJkexgka dk
fuek. k|

इस जनपद में सैनिकों एवं उनके आश्रितों के अधिवास हेतु सैनिक विश्राम गृहों का प्राविधान रखा गया है । इस जनपद में वर्तमान में सैनिक विश्रामगृह – fi Fkkj kx<+]nøyFky] cjhukx] MhMhgkV ea g A

&5&

1/11/ Hkri wZ | Sudka ds fy, bl tuin eadSVhu | fo/kk; s fuEu
LFkkuka ij gä

—पिथौरागढ़

—धारचूला

—चर्मा निकट ,ओगला, तहसील डीडीहाट (कुमॉऊ स्काउट द्वारा संचालित)

—गंगोलीहाट (केवल ग्रोसरी सामान के लिए)

fcUng | a; k &2

vf/kdkjh , o a depkfj ; ka dh ' kfDr; kWvkj drl;

1. vf/kdkjh

आहरण वितरण सम्बन्धित वित्तीय अधिकारी ।

विभाग के कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धित मामलों का विवरण ।

समस्त अधीनस्त कर्मचारियों की अवकाश स्वीकृति,वार्षिक प्रविष्टि का आंकलन, सेवा नियंकित

सम्बन्धित लाभ तथा वेतन सम्बन्धित आहरण सम्बन्धित अधिकारी ।

जनपद में कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत अधीनस्त कर्मचारियों पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण ।

शासन द्वारा आवंटित बजट का नियमानुसार पूर्ण सदुपयोग करना ।

जनपद में होने वाली जिला स्तरीय एवं निदेशालय स्तर पर होने वाली बैठकों में भाग लेना आदि ।

जनपद के भूतपूर्व सैनिकों विधवाओं एवं आश्रितों के पेंशन सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण एवं उनके स्व: रोजगार/रोजगार सम्बन्धित समस्याओं का निष्पादन ।

विभाग शासन एवं जिला स्तर पर उच्च अधिकारियों द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन करना एवं माँगी गयी सूचनाओं को समय से प्रेषित करना ।

केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/निदेशालय द्वारा घोषित कल्याण कारी सूचनाओं से भूतपूर्व सैनिकों को अवगत कराना ।

जनपद में समय पर क्षेत्र भ्रमण कर भूतपूर्व सैनिकों को विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देना ।

2. I gk; d vf/kdkjh :-

सैनिक बाहुल्य जनपदों में तहसील में उप कार्यालय(सब आफिस) की स्थापना करना
 वित्तीय समस्याओं जैसे— पेंशन रिटायरमैन्ट / रिलीज बेनेफिट्स तथा पूर्व सैनिकों तथा
 उनके
 आश्रितों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता से सम्बन्धित मामलों का निस्तारण करना
 तहसील / ब्लाक स्तर के कार्यालय से समर्पक स्थापित करना ।

भूमि तथा अन्य विवादों के सम्बन्ध में सहायता करना । सेवारत सैनिकों के परिवारों की
 देख – भाल करना । पूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों को प्राथमिक स्वारक्ष्य केन्द्रों में
 आदि कराने सहायता करना ।

युद्ध विधवाओं व उनके आश्रितों तथा युद्ध अपंग सैनिकों का रजिस्टर तैयार करना
 जिलों से बाहर झंण्डा दिवस का आयोजन तथा धन एकत्रित करना भर्ती का व्यापक
 प्रचार–प्रसार करना तथा सेवा शर्तों का ज्ञान करना रक्षा कार्यालयों से की जाने वाली
 पुछताछ का सत्यापन करना पुर्नसम्मेलन समारोह में अधिकारी की सहायता करना तथा
 जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा समय–समय दिये कार्यों का निष्पादन करना ।

3. i dj I gk; d

समस्त तृतीय एवं चतुर्थ कर्मचारियों के भविष्यनिधि के अभिलेखों का रखरखाव करना
 समस्त कर्मचारियों के द्वारा समान्य भविष्य निर्वाह निधि से अंतिम एवं अस्थाई
 निष्कासन सम्बन्धी कार्यवाही करना ।

समस्त कर्मचारियों के यात्रा देयकों का भुगतान से सम्बन्धित कार्यवाही एवं विविध कार्य
 समय–समय पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों/कार्यों का
 सम्पादन करना ।

लेखा सम्बन्धी कार्य करना । कर्मचारियों के सेवा पुस्तिका का रखरखाव स्थाईकरण
 नियुक्तियों स्थानान्तरण भमण आदि सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन किया जाना ।

4- dfu"B | gk; d

— जिला स्तर राज्य स्तर एवं केन्द्र पोषित योजनाओं से सम्बन्धित सभी दयेको की जॉच उपरान्त भुगतान सम्बन्धी कार्यों का निस्तारण करना ।

मासिक व्यय विवरण पटल तैयार करना ।

अधिकारी / समस्त कर्मचारियों के वेतन भत्तों के भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही करना

समस्त भवनों एवं कार्यालय के सम्बन्धित सभी अभिलेखों का रख रखाव करना ।

कैश सम्बन्धी सभी कार्य ट्रेजरी, बैंक, पोस्ट आर्फिस तथा समस्त आहरण वितरण के साथ कैश बुक एवं कैश रसीदों का रख रखाव ।

समस्त कर्मचारियों की जमानत की धनराशि का रखरखाव सम्बन्धी कार्य कैश बुक लेखाकार से जॉच करवाकर जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी को प्रस्तुत करना ।

कार्यालय भण्डार से सम्बन्धित समस्त कार्य तथा राजकीय आवासीय भवनों का रख रखाव, राजकीय वाहनों का रख रखाव का अनुरक्षण एवं स्टेनरी से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही करना ।

समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों / त्यौहारों के लिए समय—समय पर प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करना ।

विभागीय अधिकारियों को मासिक प्रगति आख्या प्रेषित करना ।

कार्यालय की समस्त डाक को बाहर भेजने व बाहर से आने वाली डाकों का सही समय पर निकाकरण करना ।

डाक टिकट पंजिका का रखरखाव एवं स्टेशनरी से संबंधित समस्त कार्यवाही करना । कम्प्यूटर एवं फोटो स्टेट मशीन संबंधी कार्यों का संपादन एवं रखरखाव ।

अधिष्ठान वेतन संबंधी यात्रा भत्ता वजट लेखा संबंधी कार्य, द्वितीय विश्व युद्ध पेंशन जिला दातव्य निधि से आर्थिक सहायता दिलाना ।

भूतपूर्व सैनिकों / विधवाओं एवं उनके आश्रितों के कल्याण से संबंधित कार्यों का निष्पादन करना ।

विभाग से संचालित निधियों का रखरखाव, आवासीय सहायता बीर चक श्रृंखला के अन्तर्गत देय धनराशि का वितरण, झाणडा दिवश की धनराशि एकत्रित करना ।

भूतपूर्व सैनिकों / उनकी विधवाओं के पहचान पत्र जारी करना एवं उनके आश्रितों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं सेना, पुलिस बल में भर्ती हेतु प्रशिक्षण का दिलाया जाना ।

भूतपूर्व सैनिकों / विधवाओं एवं उनके आश्रितों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण किया जाना ।

भूतपूर्व सैनिकों / विधवाओं एवं उनके आश्रितों को रोजगार दिलाया जाना ।

भूतपूर्व सैनिकों / विधवाओं एवं उनके आश्रितों को केन्द्र / राज्य सरकार से आर्थिक सहायता दिलाया जाना ।

भूतपूर्व सैनिकों / विधवाओं एवं उनके आश्रितों का स्व: रोजगार का दिलाया जाना ।

भूतपूर्व सैनिकों / विधवाओं एवं उनके आश्रितों को बैंक द्वारा ऋण पर लगे ब्याज पर सब्सीडी दिलाया जाना ।

भूतपूर्व सैनिकों / विधवाओं एवं उनके आश्रितों को कैन्टीन सुविधा का लाभ दिलाया जाना ।

5. dY; k.k dk; drkl

भारत सरकार / राज्य सरकार से प्राप्त सुविधाओं का प्रचार करना।

सेना में होने वाली भर्ती को प्रोत्साहन देना। अभिलेख कार्यालय से जा निर्देश प्राप्त होते हैं उनका पूर्व व सेवारत सैनिकों के आश्रितों को ज्ञान कराना।

वित्तीय सहायता के प्रार्थना –पत्रों की जाँच करना। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी को पूर्व सैनिकों /सेवारत सैनिकों तथा उनके आश्रितों की कठिनाई सम्बंधी मामलों से अवगत कराना।

शिकायत, डिस्चार्ज बुक स्थानान्तरण, छुट्टी के प्रार्थना पत्रों के सत्यापन करना मैडल का विवरण करना।

सामूहिक बीमा योजना /भविष्य निधि /पेंशन के मामले जो भारत सरकार, अभिलेख कार्यालय द्वारा भेजे जाते हैं उनकी जाँच करना।

पूर्व सैनिकों की जा सुविधा उपलब्ध करायी जाती है उनसे पूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों का अवगत कराते रहना।

सैनिक पुनर्मिलन समारोह के आयोजन में पूर्व सैनिकों की सहायता करना।

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा सौपे गये सभी कार्यों का निस्तारण करना।

पूर्व सैनिक तथा उनके विधवाओं से संबंधित यदि कोई पुलिस या जमीन संबंधी केश है तो थानाध्यक्ष /पटवारी तथा उनसे संबंधित अधिकारियों से मिलकार केश का निपटारा कराना।

6. Pkkyd

- विभागीय जीप की सुरक्षा एवं लॉग बुक का रखरखाव, जीप मरम्मत एवं समय समय पर अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना।

7. vup| vd

- कार्यालय में डाक लाना/ले जाना एवं कार्यालय से संबंधित कक्षों में फायल लाना ले जाना आदि।
- कार्यालय से संबंधित समस्त कार्य
- विभागीय अधिकारी के साथ उनके निर्देशन में कार्य करना।
- कार्यालय में रात्रि को चौकीदार का कार्य करना।

8. pk&dhinkj

- कार्यालय एवं विभागीय संपत्ति की देख रेख करना।
- अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना।

9. LkQkbz depkj h

- कार्यालय एवं कार्यालय परिसर की साफ सफाई रखना।
- अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना।

folInq | g; k &3

—सभी विभागीय कार्यों एवं योजनाओं के पर्यवेक्षक भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं का निस्तारण जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी द्वारा किया जाता है ।
 —शासनादेशों / केन्द्र सरकार से जारी आदेशों के संदर्भ में निर्णय लिये जाते हैं और यदि शासना देशों का समाधान नहीं होता है तो निदेशालय सैनिक कल्याण से मार्ग निर्देश प्राप्त कर लिये जाते हैं ।—प्रत्येक माह की मासिक / त्रैमासिक रिपोर्ट से निदेशालय को अवगत कराया जाता है ।

folInq | g; k &4

—विभाग द्वारा सभी योजनाओं / कार्यकमों का संचालन वार्षिक एवं भौतिकी लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं । निर्धारण वित्तीय एवं भौतिकी लक्ष्य गुणवत्ता के आधार पर प्रतिवर्ष पूर्ण हो जायें ।—भूतपूर्व सैनिकों / विधवाओं / उनके आश्रितों / सेवारत सैनिकों के पेंशन चिकित्सा आर्थिक सहायता आदि का सवंधित अभिलेख कार्यालयों एवं विभाग से संपर्क कर प्रार्थीयों के आवेदनों का अग्रसारित किया जाता है ।—कृतों के निर्वाहन के लिये समय समय पर शासन एवं विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों / आदेशों का अनुपालन किया जाता है ।

fclInq | a; k & 5

fclInq | a; k & 5& vi us dR; ks ds fuokgu ds fy, i t kx fd; s x; s fu; e@fofu; e]
vunp's k funs kdk vkj vflkysfk dh | puk%

क्रम सं०	नियम का विवरण	उपयोगिता सम्बन्धी विवरण
1	2	3
1	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4	सेवा सम्बन्धित नियमावली। जेसे वेतन निर्धारण, अवकाश से सम्बन्धि नियमावली
2	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3	यात्रा भत्ता नियमावली
3	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-2	कोषागार से वित्तीय व्यवहरण से सभी अंश जो डी०डी० से जुड़ा हुआ है ।
4	कोषागार मैनुवल	कोषागार से वित्तीय व्यवहरण से सभी अंश जो डी०डी० से जुड़ा हुआ है ।
5	उत्तराखण्ड कोषागार नियमावली	कोषागार से वित्तीय व्यवहरण से सभी अंश जो डी०डी० से जुड़ा हुआ है ।
6	बजट मैनुवल	बजट प्रक्रिया से सम्बन्धित काय्र हेतु ।
7	मैनुवल ऑफ गर्वरमेन्ट आर्डस	शासनादेशो का संग्रह
8	उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली 2002	सरकारी सेवाको के स्थाईकरण के आधार एवं स्थिति
9	उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी सामुहिक बीमा योजना निधि नियमावली-2003	समुहिक बीमा निधि कार्य प्रक्रिया प्रपत्र तथा दायित्व
10	उत्तर प्रदेश कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि नियमावली-1985	सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित प्रक्रिया प्रपत्र दायित्व तथा सक्षम अधिकारी
11	उत्तराखण्ड सरकारी सेवक त्याग पत्र नियमावली-2003	सरकारी कर्मचारी द्वारा सेवा से त्याग पत्र देने एवं उस पर विभागाध्यक्ष द्वारा अन्तिम निर्णय लिए जाने सम्बन्धित विवरण

folnq | a; k &6

folnq | a; k &6 nLrkostk tks ml ds }kjk /kkfjr ;k ml ds
fu; f=.kk/khu g\\$ i dxk\ dk fooj.k

1	उपस्थिति पंजिका	21	कोषागार विल प्रस्तुतिकरण पंजिका
2.	भ्रमण पंजिका	22	11 सी पंजिका
3.	कैश बुक	23	स0 भ0 नि0 ग्राडसीट पंजिका चतुर्थ श्रेणी
4.	कैश रसीद बुक	24	स0 भवन निर्माण पासबुक
5.	डी 11 पंजिका	25	पारवारिक पेंशन व पेंशन चतुर्थ श्रेणी
6.	स्टेशनरी पंजिका	26	निरीक्षण पंजिका
7.	विल बुक	27	कार्यालय आदेश पंजिका
8	पत्र प्रेषण पंजिका	28	द्वितीय विश्व युद्ध पेंशन लेखा पंजिका
9.	पत्र प्राप्ति पंजिका	29	द्वितीय विश्व युद्ध पेंशन भुगतान पंजिका
10.	शासकीय डाक टिकट पंजिका	30	जिला दातव्य निधि लेखा पंजिका
11.	मसिक, त्रैमासिक प्रगति पंजिका	31	आकस्मिक अवकाश पंजिका
12.	टैजरी गार्ड फाइल पंजिका	32	स्टाम्प पंजिका
13.	लोकल डाक प्रेषण पंजिका	33	शिकायत पंजिका
14	कम्प्यूटर पंजिका	34	लेखा संबंधी पंजिका
15	वाहन की लाग बुक	35	कार्यालय सामग्री विवरण रजिस्टर
16	चैक बुक पंजिका	36	भर्ती प्रशिक्षण एवं सेवा योजन
17	जमानत पंजिका	37	सेवारत सैनिकों की समस्याओं का निदान
18.	डाक पंजिका		
19	वेतन विल पंजिका		
20	यात्रा देयक पंजिका		

folnq | a; k &7uhfr oukus ;k ml d fdz klo; u ds | d\k es turk

ds | nL; k | s i jke'k\ ds fy; s fo}eku 0; oLFkk ds | c\k es | puk

—भूतपूर्व सैनिकों / विधवाओं के निराकरण हेतु हर वर्ष प्रत्येक तीसरे माह जिलास्तरीयबैठक की जाती है। जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी एवं सैनिक कल्याणअधिकी होते हैं —निदेशालय / शासन द्वारा दिये गये दिशा —निर्देशों के अनुसारही योजना जनपद स्तर पर लागू की जाती है।

fclUnq | aः; k&8

ckMks@ i fj "knks@ l fefr; ks vkg fudk; ks ds fooj.k l kfk gh fooj.k
ds mu ckMks@ i fj "knks@ l fefr; ks vkg vU; fudk; ks dh cBds turk ds
fy, [kgyh gksxh cBdk ds dk; bRr rd turk dks i gib gksxh %&

इस विभाग द्वारा जनपद जिला सैनिक कल्याण परिषद का गठन दिनांक 23 सितम्बर 2009 को किया गया जिसका कार्यकाल दो वर्ष है।

1. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ — अध्यक्ष

2. कर्नल एस0एस0खाती (अ0प्रा0) — उपाध्यक्ष

1— i nu | nL;

1/1½ i fyl vf/k{kd fi FkkJ kx<+A
 1/2½ e[; fpfdRI kf/kdkjh fi FkkJ kx<+A
 1/3½ e[; fodkl vf/kdkjh fi FkkJ kx<+A
 1/4½ cukf/kdkjh fi FkkJ kx<+A
 1/5½ ftyk f'k{k vf/kdkjh fi FkkJ kx<+A
 1/6½ mi ftykf/kdkjh fi FkkJ kx<} /kkj puyk] euL; kj h] MhMhgkV]
 xaksyhgkV A
 1/7½ ftyk l ok; kstu vf/kdkjh fi FkkJ kx<+A
 1/8½ ftyk l ekt dY; k.k vf/kdkjh fi FkkJ kx<+A
 1/9½ dks'kkf/kdkjh fi FkkJ kx<+A
 1/10½ ftyk l pukf/kdkjh fi FkkJ kx<+A
 1/11½ ftyk [kknh , oa xkekm/kksx fi FkkJ kx<+A
 1/12½ v/; {k uxj i kfylk i fj "kn fi FkkJ kx<+A
 1/13½ 'kk [kk HkrhZ vf/kdkjh fi FkkJ kx<+A
 1/14½ LVs ku e[; ky; fi FkkJ kx<+A
 1/15½ i cu/kd yhM cld fi FkkJ kx<+A
 1/16½ ftyk m?kksx vf/kdkjh fi FkkJ kx<+A

2— xj | jdkjh | nL; %dk; kly; {k= fi Fkkj kx < %

- 1/1 कनर्ल आरोडी0 जोशी (अ0प्रा0) पिथौरागढ ।
 (ब) कैप्टन मोहन सिंह बसेडा (अ0प्रा0) ग्राम कुसौली पो0 भडकटिया पिथौरागढ
 |
 (स) औनरी कैप्टन जगत सिंह सिरौला (अ0प्रा0) ग्राम कुमौड़ पिथौरागढ ।

3— uke | nL; % kekftd dk; l drk/dk; kly; {k= fi Fkkj kx < A

- 1/1 श्री रमेश चन्द्र कापड़ी (अधिवक्ता) रई पिथौरागढ
 (ब) नायव सुवेदार नरेन्द्र चन्द (अ0प्रा0) सिल्थाम, पिथौरागढ ।
 (स) सुवेदार मेजर गोविन्द सिंह (अ0प्रा0) मडगल, पिथौरागढ ।
 (द) प्रोफेसर जीत सिंह ज्याला (अ0प्रा0) पाण्डेगाँव पिथौरागढ

4— I fp0% %जिला सैनिक कल्याण एंव पुनर्वास, अधिकारी पिथौरागढ

5— dk; bky% जिला सैनिक परिषद के गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकलाप
परिषद के गठन की तिथि से दो वर्ष तक का होगा ।

fclng | a; k &9

vf/kdkfj ; ka vkj depkfj ; ka dh funf' kdk%&

de | a; k uke in

1. कर्नल डी०के० कौशिक (अ०प्रा०) अधिकारी जिला सैनिक कल्याण बागेश्वर
2. सुबे०/आ०कौ० नन्दन सिह सहा० अधि०
3. श्रीमती कौशल्या विष्ट प्रशासनिक अधिकारी

ग्रेड-2

4. श्रीमती बिमला चन्द मुख्य सहायक
5. श्री हरीश सिह प्रवर सहायक
6. श्री दीवाकर सिह कनिष्ठ सहायक
7. श्री विकम सिह कनिष्ठ सहायक
- 8.. श्री गोपाल कृष्ण पन्त कनिष्ठ सहायक
9. श्री चन्द प्रकाश कनिष्ठ सहायक
10. श्री शेर बहादुर सिह क० का० कर्ता
11. श्री कल्याण सिह क०.का० कर्ता
12. श्री रामी चन्द वाहन चालक
13. श्री प्रेम सिह अनुसेवक
14. श्री रघुवर सिह अर्दली
15. श्री भुवन चन्द शर्मा चौकीदार
16. श्री देव सिह चौकीदार
17. श्री राजेन्द्र सिह चौकीदार
18. श्री खीम सिह चौकीदार
19. श्री पूरन सिह दिगारी सफाई कर्मचारी
20. श्री अजय कुमार सफाई कर्मचारी
21. श्री ओमपाल सफाई कर्मचारी
22. श्री बलवीर सफाई कर्मचारी

vi us i R; d vf/kdkjh@depkjh }kj k i klr ekfl d i fj Jfed vkg ml ds fu/kkj .k
dh i }fr%

क्रम संख्या	कार्यरताधिकारी / कर्मचारीका नाम	पद नाम	मूल वेतन	परिश्रमिक के निर्णय की पद्धति
1.	सुबे.ओनरी कैप्टन नन्दन सिह	स0आ0	5200.00	उपनल के माध्यम से निर्धारित वेतन
2.	श्रीमती कौशल्या विष्ट	प्रशासनिक अधिकारीग्रेड-2	11060.00	शासन द्वारा समय-समय पर वेतन निर्धारण के अनुसार
3.	श्रीमती बिमला चन्द	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-2	11020.00	-तदैव -
4.	श्री हरीश सिह	प्रवर स0	8370.00	-तदैव-
5.	श्री केशर सिह	क0स0	5200.00	उपनल के माध्यम से निर्धारित वेतन
6.	श्री विकम सिह	क0स0	5200.00	-तदैव -
7.	श्री गोपाल कृष्ण पन्त	क0सं0	5200.00	-तदैव -
8.	श्री चन्द्र प्रकाश	क0सं0	5200.00	-तदैव -
9.	श्री शेर बहादुर सिह	क0का0कर्ता	11230.00	शासन द्वारा समय-समय पर वेतन निर्धारण के अनुसार
10.	श्री कल्याण सिह	-तदैव -	5200.00	उपनल के माध्यम से निर्धारित वेतन
11.	श्री रामी चन्द	वाहन चालक	5200.00	-तदैव -
12.	श्री प्रेम सिह	अनुसेवक	5200.00	उपनल के माध्यक से निर्धारित वेतन
13.	श्री रघुवर सिह	अर्दली	5200.00	-तदैव -
14.	श्री भुवन सिह शर्मा	चौकीदार	5200.00	-तदैव-
15.	श्री देव सिह	चौकीदार	5200.00	-तदैव-
16.	श्री राजेन्द्र सिह	चौकीदार	5200.00	उपनल के माध्यम से निर्धारित वेतन
17.	श्री पूरन सिह दिगारी	चौकीदार	5200.00	-तदैव-
18.	श्री खीम सिह	चौकीदार	5200.00	-तदैव --
19.	श्री ओमपाल	सफाई क0	5200.00	-तदैव -
20.	श्री बलबीर	-तदैव -	5200.00	-तदैव -
21.	श्री अजय कुमार	-तदैव -	5200.00	शासन द्वारा समय समय पर वेतन निर्धारण के अनुसार

following table 11

मद संख्या / मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2011–12में कुल आंबटित धनराशि	अप्रैल 2014 मई 2014 तक कुल व्यय की गयी धनराशि	अवशेष धनराशि
01 वेतन	4300000-00	774220.00	3525780.00
02 मजदूरी	0	0	0
03 महँगाई भत्ता	900000-00	203024.00	696976.00
04 यात्रा व्यय	15000-00	0	15000.00
05 रथानान्तरण भत्ता	0	0	0
06 अन्य भत्ते	200000-00	19230.00	180770.00
07 मानदेय	0	0	0
08 कार्यालय व्यय	15000-00	0	15000.00
09 विद्युत देय	20000-00	9554.00	10446.00
10 जलकर / जलप्रभार	20000-00	0	20000.00
11 लेखन सामग्री और फार्मा की छपाई	6000-00	0	6000.00
12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	0	0
13 टेलीफोन	15000-00	1513.00	13487.00
15 अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	10000-00	0	10000.00
17 किराया उपशुल्क स्वामित्व0	0	0	0
19 विज्ञापन विक्री	0	0	0
22 अतिथ्य व्यय विषयक भत्ता	1000-00	0	1000.00
29 अनुरक्षण	0	0	0
42 अन्य व्यय	0	0	0
47 कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्संबंधी स्टेनरी	6000-00	0	6000.00
कुल योग	5508000-00	1007541-00	4500459-00

5. ॥ r॥; fo'o ; ॥ i॥ku otV vko॥Vr /kujkf' k

मद संख्या	योजना का नाम	आवंटित धनराशि	व्यय की गयी धनराशि	शेष धनराशि
01	उत्तराखण्ड के निवासी द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों को पेशन अनुदान	1,49,40,000.00	0	1,49,40,000.00

fcl॥nq ॥ a; k &12

I gk; dh; dk; l deka ds fu"ki knu dh jhfr ftI ei vko॥Vr jfk' k
vkj , s dk; l deka ds C; kj s I fEfyr dh fLFkfr%&

1. ऐसे भूतपूर्व सैनिक एंव विधवाएं जिनको कोई पेशन प्राप्त नहीं होती है उन्हे जिला दातव्य निधि से आर्थिक सहायता दिलायी जाती है ।
2. केन्द्रीय सैनिक बोर्ड से मकान मरम्मत, पुत्री की शादी, पैच्यूरी ग्रान्ट, बच्चों की शिक्षा दो वर्ष तक की मासिक आर्थिक सहायता दिलायी जाती है ।
3. उत्तरांचल सैनिक पुनर्वास संस्था द्वारा पुत्री की शादी, ऋण में छूट, बच्चों को छात्रवृत्ति हेतु आर्थिक सहायता दिलायी जाती है ।
4. ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें पेशन प्राप्त नहीं होती है को उनके रिकार्ड कार्यालयों द्वारा भी इस कार्यालय के द्वारा आर्थिक सहायता दिलायी जाती है ।
5. सैन दस्तान देहरादून से अन्धे भूतपूर्व सैनिकों को मकान मरम्मत हेतु आर्थिक सहायता दिलायी जाती है ।

vunRr fj ; k; rkj vuKki =ks ; k i kf/kdkjk ds i klr dRrkvk dh fLfkfr

- भारत सरकार के युद्ध विधाओं को द्वितीय क्षेणी के रेल किराये में 75 प्रतिशत की रियायत दी है इसी प्रकार परमबीर चक अशोक चक महाबीर चक कीर्ति चक तथा शौर्य चक प्राप्त कर्ताओं को द्वितीय क्षेणी के मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के किराये में 50 प्रतिशत की रियायत दी है।
- वीरता पुरस्कार विजेताओं, विधाओं एवं अंपग सैनिकों को टेलीफोन सुविधाओं में प्राथमिकता तथा टेलीफोन लगाने के शुल्क में पुरी छूट है।

fofHklu ; q}ka e@ 'kg@n@vi x | fudka dk fooj .k

क्रम संख्या	आपरेशन का नाम	बीर गति प्राप्त		अंपग	
		अधिकारी	अदर रैक	जे.सी.ओ.	अदर रैक
1.	भारतपाक कश्मीरयुद्ध 1947–48	03	65	—	—
2.	भारत चीन युद्ध	02	173	—	—
3.	भारत पाक युद्ध 1965	04	125	—	—
4.	भारत पाक युद्ध 1971	06	59	—	01
5	ब्लू स्टार / 1984 ओ.पी. पवन	03	20	—	05
6	ओ०पी० रक्षक	08	47	01	05
7	ओ०पी० मेघदूत / इमीडेट	—	22	01	01
8	ओ०पी० विजय कारगिल	—	09	—	01
9	ओ०पी० पराक्रम	—	07	—	01
10	शान्ति सेना सोमालिया	—	04	—	—

&22&

ohjrk@uku ohjrk ind ls | Eekfur | eLr vf/kdkjh@I Sudka

1.	बिकटोरिया कास	—
2.	परम बीर चक	—
3.	महाबीर चक	01
4.	बीर चक	25
5.	अशोक चक	01
6.	कीर्ति चक	04
7.	शौर्य चक	21
8.	परम विशिष्ट सेना मैडल	02
9.	अति विशिष्ट सेना मैडल	05
10.	सर्वोत्तम युद्ध सेवा मैडल	—
11.	उत्तम युद्ध सेवा मैडल	—
12.	युद्ध सेवा मैडल	—
13.	विशिष्ट सेवा मैडल	08
14.	सेना/वायु/नौ सेना मैडल	79
15.	मेशन—इन—डिस्पैज	17

fcUng | a[; k &14

fdI h byDVkfud : lk e;a mi yC/k | puk ds | EcU/k e;a mi yC/k C; kjs %&

जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में वर्तमान में सात कम्प्यूटर, एक फैक्स मशीन, एवं दो दूरभाष स्थापित हैं। दूरभाष का विवरण निम्न प्रकार है।

कार्यालय	दूरभाष संख्या	फैक्स संख्या
जिला सैनिक कल्याण	05964-226771,224185	05964-226771

अधिकारी पिथौरागढ़		
कार्यालय में लगे ट्रोल फी नम्बन	18001804008	-

22

fclng | a ; k &15

I puk vfHki klr djus ds fy, ukxfj dks mi jkDr mi yC/k
I fo/kkvks dk fooj .k fdI h i trdkyh; ; k okpu d{k dks ; fn ykd
mi ; kx ds fy. 0; oLFkk dj x; h gk rks ml dk Hkh fooj .k

1. पूर्व सैनिकों / आश्रितों को सूचना प्रदान करने हेतु ब्लाक प्रतिनिधियों को जानकारी हेतु समाचार पत्रों के माध्यम से तथा पत्रों ब्लाक स्तर पर भ्रमण निश्चित कार्यक्रम के अनुसार भ्रमण किया जाता है। जोकि पूर्व सैनिकों को समय—समय पर इस कार्यालय के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराते रहते हैं।

fclng | a ; k &16

vf/kdkfj ; ks ds uke]i nuke , oa vU; fof' kf"V; k&

व्रम संख्या	विभाग का नाम	सहायक अपीलीय अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	डपनिदेशक / विभागीय अपीलीय अधिकारी
1.	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी पिथौरागढ़	कर्नल डी० के० कौशिक(अ०प्रा०)जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी बागेश्वर	कर्नल डी० (अ०प्रा०)	कर्नल अमिताभ नेगी,(अ०प्रा०) उपनिदेशक निदेशालय सैनिक

				कल्याण देहरादून
--	--	--	--	--------------------

-23&

fclng। g; k &17

vll; I puk tks fofgr dh tk; %&

1. जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पूर्व सैनिकों/ सैनिक विधवाओं एंव आश्रितों के समस्याओं का निराकरण हेतु एक दूरभाष स्थापित किया गया हैं । जिसका नम्बर 226771 हैं ।
2. समय—समय पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए आने वाली योजनाओं को समाचार पत्रों तथा भूतपूर्व सैनिक संगठनों के माध्यम से दूर –दराज में निवास करने वाले भूतपूर्व सैनिकों तक पहुँचायी जाती हैं ।

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी
पिथौरागढ़

जून 2014

